पत्र क्रमांक 2 (12) 79-2 जी0 एस0 III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष
2. आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त हरियाणा ।

दिनांक, चंडीगढ़ 5.9.1980

विषय— निलम्बित कर्मचारियों के केसों का शीघ्र निपटान करने बारे हिदायत—18 मास से अधिक अवधि से निलम्बित कर्मचारियों की सूची ।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2 (12) 79-2 जी0 एस0 III दिनांक 2.4.80 की ओर दिलाऊँ जिस द्वारा 18 मास से अधिक निलम्बित सरकारी कर्मचारियों की मासिक सूचियां इस विभाग को भेजी जानी होती है । प्राप्त सूचियां से जो त्रुटियां सरकार के नोटिस में आई है वे निम्नलिखित है:—

1. प्राय: विभाग निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचियां नहीं भेजते । ऐसी स्थित में रिपोर्ट भेजने का उदेश्य ही समाप्त हो जाता है । आपसे अनुरोध है कि यह मासिक रिपोंट निर्धारित तिथि तक अवश्य भेंजी जाए ।
2. Statement I (Casses pending in Courts) इस सूची के सभी कालम ठीक ढंग से नहीं भरे जाते । कालम नं03 में एफ0 आई0 आर0 की तिथि और पुलिस स्टेशन के बारे कालम 5 में चालान की तिथि तथा कालम 7 में केस की वर्तमान स्थिति (अर्थात कि मामला गवाही की स्टेज पर हैं, निर्णय की स्टेज पर है आदि (प्राय: नहीं बताई जाती । अनुदेश क्रमांक 33/13/79-1 जी0एस0 I, दिनांक 16.4.79 द्वारा यह भी अपेक्षित है कि न्यायालयों में लम्बित मामलों, के सम्बंध में एक वर्ष से अधिक निलम्बित कर्मचारियों के बारे मंत्री परिषद की अनुमति प्राप्त की जाए । अत: निवेदन है कि स्टेटमैंट—1 के कालम 8 में इस बारे भी पूर्ण स्थिति दर्शायी जाए । संशोधित स्टेटमैंट । की प्रति संलग्न है ।
3. Statement-II (Casses pending with departments) के कालम 7 में बहुधा विभागों द्वारा date of starting of enquiry के बारे सूचना नहीं दी जाती ।
4. Statement-III (Casses pending with Police) के कालम 9 में केस की नवीनतम स्थिति तथा देरी के कारण नहीं बताए जाते और न ही nature of allegation बारे कालम 4 में सूचना दी जाती है ।

2. आप से अनुरोध है कि अपेक्षित सूचियां भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उपर्युक्त त्रुटियां न रहने पाएं ।

संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:—

1. वित्तायुक्त राजस्व तथा
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व तथा,
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।